राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ 13( )सा.सु./वृ0क0/सान्याअवि/2019–20/1602 जयपुर, दिनांकः 15/01/20

आदेश

राज्य सरकार द्वारा वृद्ध–कल्याण योजनान्तर्गत संचालित राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम–2004 विभागीय क्रमांक प–13 (22) ( )वृ.क/सकवि/2004/43554 दिनांक 22.3.2004, वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006 विभागीय क्रमांक प–13( )( )वृ.श्र./नियम/सकवि/2005/16648 दिनांक 31.3.2006, चिरायु योजना–2008 विभागीय क्रमांक प–13( )वृ.क./भनि/सान्याअवि/08/38497 दिनांक 12.6.2008 एवं राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन के लिये दिशा–निर्देश क्रमांक एफ–13( )सा.सु./वृ.क./सान्याअवि /16–17/35716 दिनांक 20.6.2017 के द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से केन्द्र संचालन के लिये नियम जारी किये गये।

उक्त योजनाओं के नियम/दिशा निर्देश के वित्तीय प्रावधान में स्वयं सेवी संस्थाओं को केन्द्र संचालन के लिये निर्धारित अनुदान राशि की दरों में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित/परिवर्तित किया जाता है:–

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याणसेवा आश्रम नियम–2004	बिन्दु संख्या–8 अनुदान एवं बजट प्रावधान के (ग) में श्रवणकुमार मित्र को स्वीकृत बजट का 100प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। जो परिशिष्ठ–"2" के अनुसार होगा।	बिन्दु संख्या–8 अनुदान एवं बजट प्रावधान के (ग) में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 25 आवासीय क्षमता के डे–केयर सेन्टर संचालन हेतु अनुदान की दर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:– (i) चाय एवं बिस्किट (दिन में एकबार) हेतु रूपये 15/– प्रति व्यक्ति प्रति दिन वर्ष में कुल 300 दिवस हेतु। (ii)अन्य आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय हेतु वार्षिक अनुदान रू. 0.40लाख प्रति वर्ष। इस राशि से अधिक राशि व्यय होने पर अधिक व्यय की राशि स्वयं सेवी संस्था द्वारा वहन की जायेगी।

			(iii)उक्त दोनों मदों की राशि में राज्य एवं स्वयं सेवी संस्था का अंशदान 90:10 होगा।
2.	वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006	बिन्दु संख्या–12 स्वयं सेवी संस्था को अनुदान एवं बजट प्रावधानः (1) में वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सेवी संस्था का होगा। (2)वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वीकृत बजट परिशिष्ट–2 के अनुसार होगा।	बिन्दु संख्या–12 स्वयं सेवी संस्था को अनुदान एवं बजट प्रावधानः (1) में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 25 आवासीय क्षमता के वृद्धाश्रमों हेतु अनुदान की दर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः– (i) मैस व्यवस्था हेतु रूपये 2000/– प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (छात्रावास हेतु निर्धारित दर के आधार पर)। (ii)मैस व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यय हेतु एक मुश्त वार्षिक अनुदान रू. 1.50लाख। (iii)उक्त दोनों मदों की राशि में राज्य एवं स्वयं सेवी संस्था का अंशदान 90:10 होगा।
3.	चिरायु योजना–2008	बिन्दु संख्या–7 (3) में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रमों को बी.पी.एल. परिवारों अथवा अन्य निर्धन, निराश्रित, असहाय वृद्धों हेतु निःशुल्क चलाये जाने के तथ्य को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति वृद्धजन 675 रूपये प्रतिमाह नगद सहायता (एक वृद्धाश्रम में अधिकतम 25 वृद्धजनों के लिये) प्रदान की जायेगी।	बिन्दु संख्या–7 (3) में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रमों को बी.पी.एल. परिवारों अथवा अन्य निर्धन, निराश्रित, असहाय वृद्धों हेतु निःशुल्क चलाये जाने के तथ्य को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने परः– (i) राज्य सरकार द्वारा मैस व्यवस्था के लिये रू. 1600/– प्रति वृद्धजन प्रतिमाह अनुदान/सहायता

			राशि (एक वृद्धाश्रम में अधिकतम 25 वृद्धजनों के लिये) प्रदान की जायेगी। (ii)मैस व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यय हेतु व्यय स्वयं सेवी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। (iii)उक्त दोनों मदों की राशि राज्य एवं स्वयं सेवी संस्था का अंशदान 90:10 होगा।
4.	राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन के दिशा निर्देश	बिन्दु संख्या–10 में (i) के बाद नवीन बिन्दु	बिन्दु संख्या–10 में नवीन बिन्दु शामिलः– (ii) राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में ट्रस्ट/स्वयं सेवी संस्थाओं से MOU के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम हेतु अनुदान की दर राशि रूपये 1750.00 प्रति आवासी प्रति माह। उक्त राशि में राज्य एवं स्वयं सेवी संस्था का अंशदान 90:10 होगा तथा वृद्धाश्रम संचालन/प्रारम्भ करने की तिथि/दिनांक से देय होगा।

वृद्धाश्रम एवं डे–केयर सेन्टर संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान की राशि तीन किश्तों में निम्नानुसार स्वीकृत की जावेगीः–

i) प्रथम किश्तः आवासियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर आकलित मैस व्यवस्था/चाय एवं बिस्किट हेतु अनुदान की राशि का 1/3 भाग+अनावर्तक एवं अनावर्तक व्यय हेतु वार्षिक अनुदान राशि की पूर्ण राशि।

(ii) द्वितीय किश्तः वृद्धाश्रम/डे–केयर सेन्टर में प्रवेशित आवासियों की वास्तविक संख्या के आधार पर आकलित मैस व्यवस्था/चाय एवं बिस्किट हेतु अनुदान की राशि का 1/3भाग।

इस राशि में से प्रथम किश्त के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि एवं संस्था द्वारा सनदी लेखाकार के प्रमाणित वार्षिक लेखों के आधार पर गतवर्ष के अनुदान के रूप में दी गई अधिक राशि का समायोजन/वसूली की जावेगी।

(iii) तृतीय किश्तः वृद्धाश्रम/डे–केयर सेन्टर में प्रवेशित आवासियों की वास्तविक संख्या के आधार पर आकलित मैस व्यवस्था/चाय एवं बिस्किट हेतु अनुदान की राशिका1/3भाग।

जिन वृद्धाश्रमों/डे–केयर सेन्टर्स के लिये अनावर्तक व्यय हेतु 5 वर्ष के लिये अनुदान पूर्व में स्वीकृत है तथा उन्हें 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है उन्हें संशोधित दर से अनावर्तक अनुदान 5वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161700715 दिनांक 9.6.2017 एवं 131900228 दिनांक 25.09.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

10.01.2020
(नन्नूमल पहाड़िया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13( )सा.सु./वृ0क0/सान्याअवि/2019–20/ 1603–77 **जयपुर, दिनांकः** 15/01/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
2. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय–2 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर,.......................................।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..................।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (सा0सु0)

D:\Rajendra\OldAge Section\OldAge Home\Order.docx